अधिसूचना नई दिल्ली, तारीख 1 मार्च, 2016

सं0 13/2016-सीमाशुल्क

सा.का.नि. (अ.) केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 171/93-सीमाशुल्क, तारीख 16 सितम्बर, 1993, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. सं0 610(अ), तारीख 16 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में,--

(क) परन्तुक में "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) स्पष्टीकरण में "दस हजार" शब्दों के स्थान पर, "बीस हजार" शब्द रखे जाएंगे;

[फा.सं. 334/8/2016-टीआरयू]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 171/93- सीमाशुल्क, तारीख 16 सितम्बर, 1993 भारत के राजपत्र, असाधारण, में सा.का. नि. सं. 610(अ) तारीख 16 सितम्बर, 1993 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 28/2008-सीमाशुल्क, 1 मार्च, 2008 द्वारा, सा.का. नि. सं. 127(अ) तारीख 1 मार्च, 2008 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी ।